प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, अ0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2022**
   प्र0इ0रि0 सं. 342/2022 दिनांक 31/8/2022

2. (I) * अधिनियम ...**पी0सी0 (संशोधन) एक्ट 2018**..... धाराये.....7.....
   (II) * अधिनियम ....धारायें .....
   (III) * अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 574 समय 6:15 PM.
   (ब) * अपराध घटने का वार.....दिनांक....11.04.2022..... समय.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 11.04.2022

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक– **लिखित**

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– उत्तर–पश्चिम दिशा में करीब 04 कि0मी0 .....
   (ब)*पता–कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
   .....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम.....श्री विकास जैन..... .....
   (ब) पिता / पति का नाम–**श्री विमल चंद जैन** .....
   (स) जन्म तिथी / वर्ष.....**उम्र 44 साल**.....
   (द) राष्ट्रीयता .....**भारतीय**.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय .....
   (ल) पता...प्लॉट नम्बर 3 क 10 सेक्टर 3,जवाहर नगर, जयपुर।

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी पुत्र श्री केशुलाल जाति रैगर उम्र 55 साल निवासी फ्लैट नं.407, सरस्वती टावर, विधाधर नगर, अग्रसेन अस्पताल के पास जयपुर हाल निवासी–फ्लैट नम्बर 101 भगवती रजिडेन्सी,परसुराम सर्किल के पास,सेक्टर 5 विधाधर नगर जयपुर हाल–मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....

   चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....

10. * चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....

11. * पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

सेवा में

श्रीमान, अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय,
SIU Branch, ACB, मुख्यालय जयपुर
विषय– रिवश्त लेते पकडवाने हेतु,

महोदय,

सादर नम्र निवेदन है कि मेरा हल्दीघाटी गेट के पास टोंक रोड पर एक बहु मंजिला **Project** है जिसकी कुल उचाई 65 MT. है इसकी 40 Mtr. उचाई की स्थाई FIRE NOC मुझे प्राप्त हो चुकी है एवं शेष लगभग 25 Mtr. उचाई की NOC नगर निगम से लेना शेष है। 40 Mt. की स्थाई NOC प्रतिवर्ष Renew करवानी पडती है CFO जगदीश फुलवारी जी द्वारा 40 Mt. की FIRE NOC Renew कर दी गई थी जिसके एवज में वह लगातार 50000/– रूपये की मांग कर रहे थे एवं 25 Mtr. उचाई की FIRE NOC(Permanent) के लिए 5 लाख रूपये की मांग की थी। मेरी CFO श्री जगदीश फुलवारी जी से कोई रंजिश नहीं है और नही कोई उधार का लेन देन शेष है मै भ्रष्ट लोक सेवक को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं।

एसडी/–
विकास जैन 11/04/22
(3-Ka-10 jawahar nagar jpr)
9828596167

–::– कार्यवाही पुलिस –::–

दि. 11/04/2022.
समय 11.30 एएम

इस समय श्रीमान बजरंग सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन् पुलिस निरीक्षक रघुवीर शरण को अपने कक्ष में बुलाकर कक्ष में पहले से बैठे हुए परिवादी श्री विकास जैन से परिचय कराया व परिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मुझ पुलिस निरीक्षक के नाम पृष्ठांकन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। जिस पर परिवादी को अपने कार्यालय कक्ष में साथ लेकर आया व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में पूछा तो विकास जैन ने स्वयं के द्वारा लिख होना बताया व प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यों की पुष्टि की। मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मैं जयपुर में बहुमंजिला इमारतें बनाने का काम करता हूँ। जो बहुमंजिला इमारत मेरे द्वारा बनायी जाती हैं उसकी नगर निगम के फायर स्टेशन से फायर NOC प्राप्त करनी होती है। नगर निगम फायर स्टेशन द्वारा हर बड़ी इमारत की फायर NOC आवेदन करने पर प्रथम बार में स्थायी NOC दी जाती है। उसके पश्चात हर साल फायर NOC को पुनःनवीनीकरण (रिन्यू) करवाना पड़ता है। जयपुर में हल्दीघाटी मार्ग,टोंक रोड़ जयपुर स्थित मेरी एक बहुमंजिला इमारत है। जिसकी ऊँचाई 65 मीटर की है जो 22 मंजिला है। उक्त इमारत की नीचे की 40 मीटर की फायर NOC पूर्व में ही CFO श्री जगदीश फुलवारी द्वारा जारी की जा चुकी है तथा 40 मीटर के ऊपर बाकी बची 25 मीटर इमारत की नवीन फायर NOC प्राप्त करने हेतु नगर निगम ग्रेटर जयपुर गया तो फायर स्टेशन CFO श्री जगदीश फुलवारी द्वारा 40 मीटर ईमारत की सालाना फायर NOC रिन्यू कर दिये जाने की एवज में 50,000/–अक्षरे पचास हजार रूपये तथा बाकी बची ऊपर की 25 मीटर की ईमारत की नवीन फायर NOC जारी करने की एवज में 05 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांग रहा है। मैं पैसे नहीं देकर उक्त जगदीश फुलवारी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। परिवादी ने बताया कि पूर्व में रिन्यू की जा चुकी 40 मीटर ऊँचाई ईमारत की फायर NOC के लिए श्री जगदीश फुलवारी 50 हजार रूपये की मांग कर रहा है जो मिलने जाने पर उसे देनी होगी। चूंकि प्रार्थना पत्र व मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का होना पाया जाता है अतः रिश्वत मांग सत्यापन करवाना आवश्यक होने से परिवादी को 50,000/–रू0 राशि जो कि सालाना फायर NOC जारी हो जाने

की एवज में संदिग्ध अधिकारी को सत्यापन के समय ही परिवादी के पास प्राप्त की जानी है, उक्त राशि प्रस्तुत करने की कही तो परिवादी ने उक्त राशि अपने सहकार मार्ग स्थित कार्यालय से लेना बताया। चूंकि रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाना है अतः कार्यालय में पदस्थापित श्री मनीष सिंह, कानि.486 तथा श्री दवेन्द्र सिंह कानि.334 को तलब कर बुलाया एवं आपस में परिचय करवाकर पूर्ण हालात समझाये गये। कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कानि.श्री मनीष सिंह से मंगवाकर खाली होना सुनिश्चत किया गया एवं परिवादी व कानि.गण को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर संचालन की प्रकिया समझाई जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर कानि. श्री मनीष सिंह को सुपुर्द किया गया। परिवादी को उसके कार्यालय पहुॅचने एवं गोपनीयता की हिदायत की गई। मन् पुलिस निरीक्षक एवं कानि.गण मय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर एवं परिवादी के हमराह परिवादी के कार्यालय को रवाना हुए। तत्पश्चात उपरोक्त रवानाशुदा हमराहीगण परिवादी के कार्यालय के पास पहुॅचे। परिवादी अपने कार्यालय में जाकर वापस आया एवं 500–500 रू0 की नोटों की एक फ्रेश गड्डी मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत की। गड्डी के नोट कानि. श्री देवेन्द्र से गिनवाये तो 100 नोट होना बताया। नोटों की गड्डी का प्रथम नोट का नम्बर 9 FR 199301 तथा अंतिम 100 वें नोट का नम्बर 9 FR 199400 है। प्रथम व अंतिम नोट पर मन् पुलिस निरीक्षक ने नीचे दाहिने कोने में स्वयं के लघु हस्ताक्षर कर परिवादी को 50,000/–रू0 सुपुर्द किये। कानि.श्री मनीष सिंह को परिवादी के व संदिग्ध अधिकारी के मध्य होने वाली वार्ता को यथासंभव छुपाव हासिल करते हुए सुनने की हिदायत की एवं कानि. श्री मनीष सिंह ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द किया। परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया एवं पीछे–पीछे मन् पुलिस निरीक्षक हमराही कानि.गण के स्वयं के वाहन से रवाना हुए। समय 3.15 पीएम पर परिवादी नगर निगम ग्रेटर जयपुर पहुॅचा तथा कानि. श्री मनीष सिंह को परिवादी से दूरी बनाकर रखते हुए पीछे–पीछे रवाना किया। समय 3.50 पीएम पर परिवादी नगर निगम ग्रेटर जयपुर के बाहर आया और पीछे–पीछे कानि.श्री मनीष सिंह भी आया। परिवादी ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया, जिसे बंद कर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मैं श्री जगदीश फुलवारी के कार्यालय कक्ष में गया तो वो वहॉ नहीं थे। थोड़ी देर बाद श्री जगदीश फुलवारी ने अपने किसी कर्मचारी को मेरे पास भेजा, जिसने मुझसे नाम पूछा और अपने साथ श्री जगदीश फुलवारी के कार्यालय से लेकर उपायुक्त फायर (D.C.फायर) के ऑफिस में बने चैम्बर में गया। जहॉ श्री जगदीश फुलवारी CFO पहले से बैठे थे। श्री जगदीश फुलवारी ने मुझे पूर्व में रिन्यू की जा चूकी फायर NOC की एवज में मांगी गई 50,000/–रू0 रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए हाथ से ईशारा किया, जिस पर मैंने श्री जगदीश फुलवारी को 50,000/–रू0 की राशि दे दी, जो उन्होने थोड़ी देर बाद ही अपने किसी कर्मचारी को फोन कर बुलाकर उक्त 50,000/–रू0 की राशि उस कर्मचारी को दे दी थी। 40 मीटर के ऊपर की बिल्डिंग की नयी फायर NOC का ऑफ लाईन आवेदन करने पर NOC जारी करने की एवज में संदिग्ध अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी द्वारा अपने हाथों को ऊपर उठाकर दाहिने हाथ की तीन अगुंलियों का ईशारा कर तीन लाख रूपये की रिश्वत राशि स्वयं के लिए मांग की तथा उपायुक्त फायर के लिए भी रिश्वत राशि की मांग की। उपायुक्त फायर को रिश्वती राशि लेने के बारे में पूछकर बताने के लिए श्री जगदीश फुलवारी ने कहा है। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चलाकर सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होना एवं वार्ता से परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। परिवादी ने बताया कि 40 मीटर के ऊपर की शेष ईमारत की फायर NOC की एप्लिकेशन जल्दी ही लगाने के लिए कहा है। जैसे ही आवेदन करूॅगा तो श्री जगदीश फुलवारी मुझसे सम्पर्क करेगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की एवं संदिग्ध अधिकारी द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त अवगत कराने की हिदायत कर रूखसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय कानि.गण रवाना कार्यालय ब्यूरो मुख्यालय हुआ। समय 05.15 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक मय कानि.गण कार्यालय ब्यूरो मुख्यालय पहुॅचा एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को बंद हालात में आलमारी में सुरक्षित रखा गया। आलमारी को लॉक कर चाबी मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखी। दिनांक 21.04.2022 को समय 04.35 पीएम पर परिवादी श्री विकास जैन पुत्र श्री

विमल चंद जैन उम्र–44 साल निवासी– प्लॉट नं. 3 क 10 सेक्टर 3 जवाहर नगर जयपुर उपस्थित कार्यालय आया व मन् पु0नि0 को बताया कि मैंने मेरी बिल्डिंग की 40 मीटर के उपर की फायर एनओसी लेने हेतू फायर स्टेशन नगर निगम ग्रेटर जयपुर में दिनांक 18.04.2022 को ऑफ लाईन आवेदन कर दिया था, जिस पर आज दिनांक को मेरे द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी से सम्पर्क करने पर संदिग्ध अधिकारी ने मुझे शनिवार या रविवार को कॉल करने पर तुरन्त मेरी बिल्डिंग पर पहुंचने के लिए एवं वहीं पर रिश्वती राशि लाने हेतु निर्देशित किया है। जिस पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा मेरे को कॉल करने पर मुझे तुरन्त वहॉ पहुंचना होगा जिसके कारण ट्रेप कार्यवाही के दौरान मुझे समय कम मिलेगा इसलिए मैं संदिग्ध अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि में से 02 लाख रूपये साथ में लेकर आया हुँ। जिस पर मन् पु0नि0 ने कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री मनीष सिंह, कानि. 486 व श्री देवेन्द्र सिंह, कानि.334 को मेरे कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी से परिचय करवाकर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी द्वारा ली जाने वाली रिश्वती राशि परिवादी को पेश करने को कहा तो परिवादी श्री विकास जैन ने संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 2,00,000/–रूपये जिनमें से पांच–पांच सौ रूपये के 400 नोट कुल दो लाख रूपये निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किये। रिश्वत राशि के रूप में दिये जाने वाले नोटों की पृथक से फर्द पेशकशी नोट रिश्वती राशि मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई एवं नम्बरी नोटों को एक अखबार में लपेटकर मेरे कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखे जाकर अलमारी की चाबी मन् पु0नि0 ने अपने पास रखी एवं परिवादी श्री विकास जैन को हिदायत की जैसे ही संदिग्ध अधिकारी आपसे सम्पर्क करता है तो आप तुरन्त मन् पु0नि0 को सुचित कर फर्द दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पाउडर तथा सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं सुपुर्दगी नोट हेतु एसीबी कार्यालय पहुंचे। तत्पश्चात परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 22.04.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक उपस्थित कार्यालय आया व श्री पन्नालाल कानि.09 भी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय है, चूंकि परिवादी श्री विकास जैन ने बताया था कि संदिग्ध आरोपी मुझे रिश्वती राशि लेने हेतु शनिवार या रविवार को कॉल करके बुलायेगा। इसलिए शनिवार या रविवार को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन होने से श्री पन्नालाल कानि. को इस कार्यालय के पत्रांक एसपीएल–4 देकर दो स्वतंत्र गवाहान पाबन्द करने हेतु रवाना किया गया। समय 04.30 पीएम पर श्री पन्नालाल कानि.09 व कार्यालय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड पंचम व चतुर्थ (उत्तर) जयपुर से दो स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार जैन व श्री दीपक कुमार विजय के उपस्थित कार्यालय आया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान से नाम पता पूछा तो उन्होने अपने नाम पते क्रमशः श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जैन उम्र 52 साल निवासी 04 ठ –7 जवाहर नगर जयपुर हाल स्टोर मुन्शी कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग नगर उपखण्ड चतुर्थ(उत्तर) जयपुर मोबाईल नं. 9829189895 व श्री दीपक कुमार विजय पुत्र श्री नानक राम विजय जाति महाजन उम्र 42 साल निवासी सी–40 लक्ष्मी नारायणपुरी सुरजपोल गेट जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग नगर उपखण्ड पंचम (उत्तर) जयपुर मोबाईल नं. 9079246816 होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान से गोपनीय कार्यवाही में गवाह बनने की सहमती चाही जिस पर दोनों गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही में अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक सहमती प्रदान की। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 23.04.2022 को समय 08.00 ए. एम. पर एसीबी कार्यालय में उपस्थित आने व गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 23.04.2022 को समय 08.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्टाफ व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार जैन एवं श्री दीपक कुमार विजय उपस्थित कार्यालय आये। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया एवं परिवादी के फोन का इन्तजार किया जाने लगा। समय 03.45 पीएम पर परिवादी श्री विकास जैन उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि मेरे पास संदिग्ध अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी का समय 3:16 पी.एम. पर फोन आया था जिसने स्वयं को सीतापुरा की तरफ होना बताया व मुझे मेरी बिल्डिंग साईट की तरफ आने के लिए कहा हैं।

संदिग्ध अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी मुझसे रिश्वती राशि की मांग कर रिश्वती राशि प्राप्त करने की पूरी पूरी सम्भावना हैं, जिस पर परिवादी श्री विकास जैन का उपस्थित स्वतत्रं गवाह श्री संजय कुमार जैन एवं श्री दीपक कुमार विजय से आपस में परिचय करवाया गया व परिवादी का प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया जाकर अंकित तथ्यों के बारे में बताया गया व उक्त दोनों गवाह को उक्त कार्यवाही में गवाह बनने के लिए कहा गया तो उक्त दोनों ने गवाह बनने की पृथक–पृथक सहमति प्रदान की गई तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र पर उक्त दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आमदा परिवादी श्री विकास जैन व उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष परिवादी द्वारा पूर्व में पेश एवं मेरे कार्यालय कक्ष की अलमारी में पूर्व से रखी संदिग्ध अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि श्री देवेन्द्र सिंह कानि. से निकलवायी एवं गिनवाया जाकर नोटों का पुनः फर्द पेशकशी नोटों से मिलान किया गया तो सही होना पाया गया। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपयों के चार सौ नोट कुल राशि 2,00,000/–रूपये (दो लाख रूपये) के नोटों पर नियमानुसार फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाकर पृथक से फर्द दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी नोट एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर जो पुर्व में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान काम में लिया गया था, को जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्डिंग सेव है को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर रिश्वत राशि लेन–देन के समय संदिग्ध व उसके मध्य होने वाली बातचीत को उक्त रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की हिदायत की गई। समय 06.20 पीएम तक संदिग्ध अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी का फोन परिवादी के पास नहीं आने के कारण संदिग्ध अधिकारी की लोकेशन के बारे में गोपनीय रूप से ज्ञात किया तो संदिग्ध अधिकारी का सीकर रोड़ पर होना ज्ञात हुआ। इस पर परिवादी ने बताया की संदिग्ध अधिकारी अब आज मेरे से रिश्वत राशि के लिए सम्पर्क नहीं करेगा। इस कारण परिवादी को हिदायत की गई कि जैसे ही संदिग्ध अधिकारी आपसे सम्पर्क करता है आप तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित करेगें। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिती में श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 से परिवादी की गाड़ी के बाई साइड के सामने के डेस बोर्ड में रखी फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 400 नोट कुल राशि 2,00,000 रूपये मय कागज का सफेद लिफाफा निकलवाकर एवं परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर रिश्वती राशि एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित मेरे स्वयं के कब्जे में सुरक्षा की दृष्टी से कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया तथा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी सदस्यों को हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया। दिनांक 09.06.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर परिवादी श्री विकास जैन के मोबाईल फोन से वाट्सअप कॉल आया तथा बताया कि कल दिनांक 08.06.2022 को श्री जगदीश फुलवारी सीएफओ साहब मेरी हल्दीघाटी मार्ग पर स्थित बिल्डिंग पर गये थे तथा वहां मेरे प्रोपर्टी मैनेजर श्री विजेन्द्र के मोबाईल नम्बर 9694483434 से मेरे मोबाईल पर कॉल करवाया तथा खुद ने बात की और बताया कि मै यहां आया था बिल्डिंग की विजिट कर ली है। इसमें कुछ कमियां है तब मैने कहा कि सर आप मुझे पहले बता देते तो मै बिल्डिंग पर आ जाता। तब श्री फुलवारी जी ने मुझे कहा कि मै सीतापुरा की तरफ आया था इसलिए आपको फोन नही किया। मै आपको जरूरत होगी तो बुला लुंगा। समय 04:00 पीएम के करीब नगर निगम जयपुर स्थित स्वयं के कार्यालय में 05 मिनट मिलने के लिए मुझे किसी व्यक्ति से सन्देश भिजवाया तब मै उनके कार्यालय पर तुरन्त ही पहुंच गया। मेरे पास समय कम होने के कारण मैं आपको उस समय सूचना नही दे पाया था। श्री फुलवारी ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाकर कहा कि आपकी बिल्डिंग की विजिट कर ली है। कुछ कमियां है जिनके लिए मै आपको नोटिस दुंगा और आप कुछ फोटोग्राफ्स लगाकर नोटिस का जवाब दे देना। मैं एनओसी जारी कर दूंगा। पूर्व में श्री फुलवारी द्वारा डी.सी. साहब के साथ मेरी बिल्डिंग की विजिट करने के दौरान डी.सी. साहब के लिए भी रिश्वत के सम्बन्ध में मंशा जाहिर की गई थी, इसलिए इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा पुछने पर श्री फुलवारी ने कहा कि मैं आपको बता दुंगा। संदिग्ध अधिकारी द्वारा सम्पर्क

करने पर तत्काल मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करने तथा गोपनियता बनाए रखने की हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी से उपरोक्त गोपनीय कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु बार–बार सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया की मेरा अभी तक संदिग्ध अधिकारी से सम्पर्क नहीं हुआ है तथा मैं भी मेरे निजी कार्य में व्यस्त हुँ। दिनांक 16.08.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से सम्पर्क कर बताया कि आपके प्रार्थना पत्र का संदिग्ध अधिकारी पूर्व में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा ट्रेप होकर के न्यायिक अभिरक्षा में है एवं इस प्रार्थना पत्र पर संदिग्ध आरोपी के विरूद्ध अब ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। आप गोपनीय कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित कार्यालय आवें जिस पर परिवादी ने बताया कि मैं अभी मेरे निजी कार्य में व्यस्त हुँ जैसे ही फ्री हो जाऊँगा तब एसीबी कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 23.08.2022 को समय 12.40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने जरिये दूरभाष उपरोक्त गोपनीय कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी श्री विकास जैन एवं गोपनीय कार्यवाही हेतू पूर्व के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कुमार विजय व श्री संजय कुमार जैन को उपस्थित कार्यालय आने की हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात समय 03.20 पीएम पर परिवादी श्री विकास जैन एवं गोपनीय कार्यवाही हेतू पूर्व के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कुमार विजय व श्री संजय कुमार जैन उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक कुमार विजय व श्री संजय कुमार जैन को बताया कि उपरोक्त गोपनीय कार्यवाही में संदिग्ध आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी के विरूद्ध ब्यूरो हाजा पर ट्रेप कार्यवाही हो चुकी है एवं वर्तमान में निलम्बित चल रहा है। इसलिए इस गोपनीय कार्यवाही में संदिग्ध आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही होने की सम्भावना नहीं है। चूंकि संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन डिजीटल वायॅस रिकार्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से होना पाया गया है, परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन की फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करने हेतू उपस्थित रहने को कहा तो परिवादी ने अपनी सहमति जाहिर की। तत्पश्चात गवाहान के समक्ष परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी के मध्य दिनांक 11.04.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर जो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा हुआ है, को कार्यालय की अलमारी से निकालकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता में रिकॉर्ड आवाजों की पहचान परिवादी से करवाकर उक्त वार्तालाप को दोनों गवाहान एवं परिवादी के समक्ष शब्द–ब–शब्द फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात् ट्रेप बॉक्स से चार खाली सी.डी. आर. निकालकर उन्हें लेपटॉप के जरिये खाली होना सुनिश्चित किया गया। दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री विकास जैन के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वती राशि मांग सत्यापन के समय दिनांक 11.04.2022 को परिवादी व आरोपी के बीच हुई वार्ता को विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटॉप से जोडकर उक्त रिकार्ड वार्ता की वाईस क्लिप को बारी–बारी से चार अलग–अलग सीडी मे राईट/बर्न किया गया। सभी सी.डी.आर. को पुनः लैपटॉप पर चलाया जाकर सुना गया तो उसमें उपरोक्त वार्ता दर्ज होना पाया गया। वॉईस क्लिप सीडी में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर चारों सीडीयों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाये गये तथा अलग–अलग सीडी मार्क A-1, A-2, A-3 मार्क A-4 (आईओ कॉपी) क्रमशः अंकित किये गये। उक्त सीडी में से तीन सीडी मार्क A-1, A-2 एवं मार्क A-3 को अलग–अलग प्लास्टिक के सीडी कवर में रखकर अलग–अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व सीडी अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगा हुआ Sandisk 32 GB का एसडी कार्ड जिसमे रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता रिकॉर्ड है, उसको डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से सुरक्षित रूप से बाहर निकालकर माचिस की एक खाली डिब्बी में डालकर माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क SD अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर किया गया। कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो,विअनुई, जयपुर के पत्रांक 1493 दिनांक 23.08.2022 के जरिये तीन सील्डशुदा सीडीयां मार्क A-1, A-2 एवं मार्क A-3 एवं मार्क SD को जमा मालखाना करवाया

गया एवं सीडी मार्क A-4 (आईओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। परिवादी से रिश्वत के रूप में पचास हजार रूपयों की मांग करना परिवादी ने अपने हस्तलिखित प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है, जिस सम्बन्ध में दिनांक 11.04.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता **आरोपी**– आदेश करो, **परिवादी**– सर एक तो ये अमाउण्ट देना था मेरे को ये 50 हजार तो आप पकडो, रिन्युअल के लिए थोडा ज्यादा बोला था, आपने, **आरोपी**– रिन्युअल तो कर दी न अपन ने आपके कहने से कर दिया, **परिवादी**– ऑन लाईन ही आयेगी, **आरोपी**– ऑन लाईन आयेगी पूछ लूंगा एक बार मै बता दूंगा, **परिवादी**–शायद, **आरोपी**–उसका एक बार मुझे बता देना। **परिवादी**– पहले में तो कर दिया था, 03 ओर कर दूंगा। **आरोपी**– हंसने की आवाज, ये भी बैठा है इसलिए कह रहा हूं मेरे तो कोई दिक्कत नही है। आपने वो रिन्युअल नही करवाई क्या। **परिवादी**– अब क्या है वो बिल्डिंग तो बन गई, हैण्डओवर भी कर दी अब वो लोग तो इन्टरसटेड होते नही है, लेकिन ठीक है सर मै करवाउंगा। **आरोपी**–एक बार अभी इनके पास है सारा ... अस्पष्ट वार्ता ..... उसी हिसाब से कर देना। **परिवादी**– रिन्युअल के अन्दर तो रिजनेबल ही रखों, 50 हजार नही, हर साल का काम है सर, **आरोपी**– इसमे तो आपको लोस नही है किसी अन्य से कॉल पर वार्ता, **परिवादी**– इसका तो वो छोटा सा है होटल के हिसाब से पाईन्ट कर सैट होऐंगे न, वो करवा के चालु कर देगें, **आरोपी**– इसमें जो भी सिस्टम लगाना है लगा लगु के नक्की कर दो, थोडा 19–20 भी हो तो फिर कर देगें। ठीक है न। कल या परसो एक बार बात कर लेना। **परिवादी**– सर क्या अमाउण्ट रखा है इसका तीन फाईनल है क्या। **आरोपी**–एक बार पुछ लेता हूं, पुछ कर बताउंगा, पुछ लेता हुं। **परिवादी**– आपको क्या पुछना है सर, बॉस हो आप ही। आरोपी– नही पुछना पडेगा। उसका भी करवा लेना। **परिवादी**– रिन्युअल का, **आरोपी**– हां रिन्युअल का, उसका नोटिस जारी नही कर रहा हूं मैं, उपरोक्त वार्ता में परिवादी से संदिग्ध आरोपी जगदीश प्रसाद फुलवारी द्वारा रिश्वत राशि 50,000/–अक्षरे पचास हजार रूपये मांग सत्यापन वार्ता के समय प्राप्त करना तथा बाकी बची ऊपर की 25 मीटर की ईमारत की नवीन फायर NOC जारी करने की एवज में 03 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना स्पष्ट होता है।

मामले में उपरोक्त कार्यवाही एवं संकलित साक्ष्यों से आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी पुत्र श्री केसूलाल फुलवारी, उम्र 55 साल, जाति रेगर, निवासी फ्लेट नम्बर–407, सरस्वती टॉवर, अग्रसेन अस्पताल के पास, विधाधर नगर, जयपुर हाल निवासी फ्लेट नम्बर–101, भगवती रेजीडेन्सी, परशुराम सर्किल के पास, सेक्टर–5, विधाधर नगर, जयपुर हाल–मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम ग्रेटर,जयपुर द्वारा परिवादी श्री विकास जैन की जयपुर में हल्दीघाटी मार्ग,टोंक रोड़ जयपुर स्थित 22 मंजिला इमारत जिसकी ऊँचाई 65 मीटर की है उक्त इमारत की नीचे की 40 मीटर की फायर NOC पूर्व में ही CFO श्री जगदीश फुलवारी द्वारा जारी की जा चुकी है तथा 50,000/–रू0 की मांग कर रहा है तथा 40 मीटर के ऊपर बाकी बची 25 मीटर इमारत की नवीन फायर NOC प्राप्त करने हेतु नगर निगम ग्रेटर जयपुर गया तो फायर स्टेशन CFO श्री जगदीश फुलवारी द्वारा 40 मीटर ईमारत की सालाना फायर NOC रिन्यू कर दिये जाने की एवज में 50,000/–अक्षरे पचास हजार रूपये मांग सत्यापन वार्ता के समय प्राप्त करना तथा बाकी बची ऊपर की 25 मीटर की ईमारत की नवीन फायर NOC जारी करने की एवज में 03 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया है। आरोपी का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, (संशोधित) 2018 का प्रमाणित पाया गया है। अतः उक्त धारा में आरोपी के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है।

(रघुवीर शरण)
पुलिस निरीक्षक
विशेष अनुसंधान ईकाई,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 342/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

31.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2983-87 दिनांक 31.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

31.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।